


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या ..95 / 2016.....जिला..... दौसा.....

उनवान – मैसर्स अरुणेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा एवं रामफूल गुर्जर पुत्र श्री कन्हैयालाल
बनाम राजस्थान सरकार व श्रीमती नहनी कंवर बेवा श्री सरदार सिंह, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.16	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री राजीव चौधरी, सदस्य</p> <p>प्रार्थीगण द्वारा यह विविध प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 12.07.2016 जिसके द्वारा प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना-पत्र संख्या 135/2012/दौसा को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया था, के सन्दर्भ यह प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित एवं विभाग की ओर से श्री जमील जई उपस्थित। उभयपक्ष की एकल बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 12.07.2016 को कोई भी उपस्थित नहीं होने से अपील सं 135/2012/दौसा अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी थी। प्रार्थीगण द्वारा विविध प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि उनके अधिवक्ता राजस्व मण्डल की बैंच में व्यस्तता होने के कारण उपस्थिति नहीं हो सकें। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अन्य न्यायालय में व्यस्तता होना अनुपस्थिति का युक्ति-युक्त आधार नहीं है। किन्तु फिर भी प्रकरण का गुणावगुण कर निस्तारण किया जाने के लिए प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत है।</p> <p>अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विविध प्रार्थना पत्र 500/- रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। परिमाणस्वरूप हर्जे के राशि राजकोष में जमा कर रसीद प्रस्तुत करने पर निगरानी 135/2012/दौसा, सुनवाई हेतु पुनः उसी नम्बर पर दर्ज की जाये।</p> <p>विविध प्रार्थना पत्र फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न अपील पत्रावली रहें।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div>	